रजिस्टर्ड नं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 1974/भाद्र 30, 1896
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1974/BHADRA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रीमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1974

सा० का० नि० 1012:—भारतीय प्रशासन सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक और उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु की सरकार से परामर्श करके भारतीय प्रशासन (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) 18वां संशोधन विनियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में 'तमिलनाडु शीर्ष के नीचे, 'निदेशक, लघु बचत, मद्रास', प्रविष्टि के स्थान पर निदेशक, लघु बचत और रैफिलस प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं० 10/14/74-ए० आई० एस० II-ए०]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Admn. Reforms)

New Delhi, the 7th September, 1974

G.S.R. 1012.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (fixation of cadre Strength) Regulations, 1955, namely :

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Eighteenth Admendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Tamil Nadu", for the entry "Director of Small Saving, Madras", the entry "Director of Small Saving and Raffles" shall be substituted.

[No. 10/14/74-AISII-A]

71GI/74—1

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Eighth Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the 1st October of 1974.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, rule 450-A shall be omitted.

[No. 2-4/73-PHT]

T. K. RAMAKRISHNAN, Assistant Director General

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1974

सा० का० नि० 1037—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1). इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती पांचवां (5वां संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में :

(1) 'मास्ट मैकेनिक' के पद से संबंधित क्रम सं० 25 के सम्मुख कालम-2 के अन्तर्गत 'मास्ट मैकेनिक' शब्दों के स्थान पर 'मास्ट टैकनीशियन' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(2) "डीजल मैकेनिक" के पद से संबंधित क्रम संख्या 65 के सम्मुख कालम 2 के अन्तर्गत "डीजल मैकेनिक" शब्दों के स्थान पर "डीजल टैक्नीशियन" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 4/12/74-एस आई वी]

आर० के० गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th September, 1974

G.S.R. 1037.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Fifth Amendment) Rules, 1974.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964.,

(1) against S. No. 25 relating to the post of 'Mast Mechanic', in column 2, for the words 'Mast Mechanic' the words 'Mast Technician' shall be substituted ;

(2) against S. No. 65 relating to the post of 'Diesel Mechanic' in column 2, for the words 'Diesel Mechanic', the words 'Diesel Technician' shall be substituted.

[No. 4/12/74-SIV.]

R. K. GUPTA, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1974

सा०का०नि० 1038-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि०—271 तारीख 12 फरवरी, 1965 के साथ प्रकाशित, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (अधीनस्थ कार्यालय) अनुसचिवीय पद (वर्ग III) भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (अधीनस्थ कार्यालय) अनुसचिवीय पद (वर्ग III) भर्ती संशोधन नियम, 1974 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची का संशोधन :—केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (अधीनस्थ कार्यालय) अनुसचिवीय पद (वर्ग III) भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में अंत में, निम्नलिखित बाद-टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण :—नए मंजूरी प्राप्त पदों के 50 प्रतिशत तक को ऐसे उपयुक्त कर्मचारियों में से भरा जाएगा, जो 23 जून, 1971 को फरक्खा बांध परियोजना के नियमित स्थान में थे और जिनका उक्त परियोजना की अपेक्षाओं को देखते हुए अधिशेष होना संभाव्य है। इस उपबंध के अधीन नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यार्थियों के नाम उक्त परियोजना द्वारा, अभ्यपेक्षा की तारीख से तीस दिन के अंदर, भेजे जाएंगे और इन्हें चयन के पश्चात् तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अंदर नियोजन के लिए होना चाहिए। ऐसा न होने पर, पदों को भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार भरा जा सकेगा।"

[सं० 6/74 एफ० 39/17 68 प्रशा-1]

मुकेश चन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 5th August, 1974

G.S.R. 1038.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water and Power Commission (Subordinate Offices) Ministerial posts (Class III) Recruitment Rules, 1965, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power No. G.S.R. 271 dated the 12th February, 1965, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Water and Power Commission (Subordinate Offices) Ministerial posts (Class III) Recruitment Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Schedule.—In the Schedule to the Central Water and Power Commission (Subordinate Offices) Ministerial posts (Class III) Recruitment Rules, 1965, at the end, the following foot-note, shall be added, namely :—

"Note : Upto 50 per cent of the newly sanctioned posts shall be filled from amongst suitable employees who were borne on the regular establishment of the Farakka Barrage Project on the 23rd June, 1971 and who are likely to be rendered surplus to the requirements of the said project. Suitable candidates of the said Project for appointment under this provision shall be sponsored by the said Project within thirty days from the date of requisition and should be made available for employment within a further period of thirty days after selection failing this, the posts may be filled in accordance with the other provisions of the recruitment rules."

[No. 6/74-F. 39/17/68-Adm. I]

MUKESH CHAND, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974